

[2023] 13 एस. सी. आर 1117:2023 आई. एन. एस. सी 891

मामलों का विवरण

सर्वेश माथुर बनाम.

पंजाब और हरियाणा का सामान्य उच्च न्यायालय

(2023 की लिखित याचिका (आपराधिक) संख्या 351) अक्टूबर 06, 2023

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.]

हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं तक पहुंच से इनकार या हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई।

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई का संचालन-प्रौद्योगिकी को अपनाने के स्तर में उच्च न्यायालयों के बीच काफी भिन्नता-केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के तहत न्यायाधिकरणों की स्थिति:

आयोजित किया गया: कोई भी उच्च न्यायालय ऐसी सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक बार या वादी के किसी भी सदस्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं या हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई करने से इनकार नहीं करेगा-सभी राज्य सरकारें उच्च न्यायालयों को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक सुविधाओं को स्थापित करने के लिए आवश्यक धन प्रदान करेंगी जैसा कि संकेत दिया गया है-उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि उच्च न्यायालय परिसर के भीतर उच्च न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होने वाले सभी अधिवक्ताओं और वादियों को पर्याप्त बैंडविड्थ के साथ वाई-फाई सुविधाओं सहित पर्याप्त इंटरनेट सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएं-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/हाइब्रिड सुनवाई तक पहुंचने के लिए उपलब्ध लिंक प्रत्येक अदालत की दैनिक कारण-सूची में उपलब्ध कराए जाएंगे और पूर्व आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी-कोई भी उच्च न्यायालय एक आदेश लागू नहीं करेगा।

1117 1118

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

& ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की सभी अदालतों को पर्याप्त बैंडविड्थ और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए न्याय विभाग के साथ समन्वय करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी-उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि बार और बेंच के सदस्यों को पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं-भारत संघ यह सुनिश्चित करेगा कि सभी न्यायाधिकरणों को हाइब्रिड सुनवाई के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा

प्रदान किया जाए-सभी न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त तिथि के बाद हाइब्रिड सुनवाई शुरू हो-उच्च न्यायालयों को नियंत्रित करने वाले निर्देश सीईएसटीएटी, आईटीएटी, एनसीएलएटी, एनसीएलटी, एएफटी, एनसीडीआरसी सहित केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के तहत काम करने वाले न्यायाधिकरणों पर भी लागू होंगे।[पैरा 14,15]

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक मूल न्यायनिर्णय:2023 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 351।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

रूप:

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., निधेश गुप्ता, गुरु कृष्ण कुमार, विरेंद्र गंडा, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अरविंद कुमार शर्मा, शरत नांबियार, चित्रांशु शर्मा, शाश्वत आनंद, अमरीश कुमार, अभिमन्यु तिवारी, सुश्री एलिजा बार, तुषार बाथीजा, सिद्धांत सरोहा, सिद्धांत अवस्थी, प्रवीर सिंह, पार्थ जैन, कुणाल चटर्जी, सुश्री मैत्रेयी बनर्जी, रोहित बंसल, सुश्री क्षितिज सिंह, वरिंदर कुमार शर्मा, निखिल गोयल, पी. आई. जोस, जेम्स पी. थॉमस, रवि सागर, गौरव अग्रवाल, गौतम नारायण, सुश्री स्मिता सिंह, हर्षित गोयल, सिद्धांत सिंह, साहिल टागोत्रा, शिवाशीष मिश्रा, तपेश कुमार सिंह, आदित्य प्रताप सिंह, दीपायन मंडल, नमन वर्मा, एम.

सर्वेश माथुर बनाम पंजाब और हरियाणा का सामान्य उच्च न्यायालय

बिस्वास, पी. डी. गुप्ता, सुश्री सुजय बर्धन, मुकल कुमार, संदीप सुधाकर देशमुख, निशांत शर्मा, तुषार डी. भेलकर, अक्षय सुभाष जगतप, स्वप्निल अनिल वाल्डे, संजय कुमार पाठक, अरविंद कुमार त्रिपाठी, श्रीमती शशि पाठक, अपूर्व कुरूप, शिवांशु द्विवेदी, सुश्री कीर्ति दधीच, सुश्री अपर्णा अरुण, सुश्री गौरी गोबर्धन, अखिल हसीजा, हिमांशु शेखर, पार्थ शेखर, सुश्री अंबली वेदसेन, शुभम सिंह, सुश्री एनाक्षी मुखोपाध्याय सिद्धांत, सोवन सिद्धांत, एस. सिलंबरसन, सुश्री उत्तरा बब्बर, राघवेंद्र एस.उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का निर्णय/आदेश

1. सुनवाई की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2023 को सभी उच्च न्यायालयों के महापंजीयक, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, 1 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, 2 और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को नोटिस जारी किया गया था।³ उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे (i) पिछले तीन महीनों में कितनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई हुई है; और (ii) क्या कोई अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर रही है। इसके अलावा, सॉलिसिटर जनरल से सुनवाई की अगली तारीख पर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के तहत न्यायाधिकरणों में संकर सुनवाई पर डेटा के साथ अदालत की सहायता करने का अनुरोध किया गया था।

2. 15 सितंबर 2023 के आदेश के अनुसार, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों ने अपने निर्णय दिए हैं:

(i) इलाहाबाद में उच्च न्यायालय; (ii) बॉम्बे में उच्च न्यायालय;

1 "एन. सी. एल. ए. टी. "2" एन. सी. डी. आर. सी "3" एन. जी. टी ".

1120

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

(ग) कलकत्ता में उच्च न्यायालय;

((iv) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय; (v) गुवाहाटी उच्च न्यायालय;

(vi) गुजरात का उच्च न्यायालय;

((viii) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय; (viii) झारखंड उच्च न्यायालय;

(ix) कर्नाटक उच्च न्यायालय; (x) केरल उच्च न्यायालय;

(xi) मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय;

(xii) मद्रास में उच्च न्यायालय; (xiii) मेघालय का उच्च न्यायालय;

(xiv) उड़ीसा का उच्च न्यायालय;

(xv) पटना में उच्च न्यायालय; (xvi) पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय; (xvii) राजस्थान का उच्च न्यायालय;

(xviii) सिक्किम का उच्च न्यायालय;

(xix) आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय;

((x) तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय; (xi) उत्तराखंड का उच्च न्यायालय; और

(xxii) जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय

3. दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से पेश वकील श्री गौतम नारायण ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर जवाब दिया जाएगा। ऐसा करने की अनुमति दी जाती है।

4. मणिपुर उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है। उन्हें अपने जवाब देने के लिए 13 अक्टूबर 2023 तक का और समय दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर संबंधित उच्च न्यायालयों के महापंजीयक और पंजीयक (आई. टी.) सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

सर्वेश माथुर बनाम पंजाब और हरियाणा का सामान्य उच्च न्यायालय

5. एनजीटी की ओर से पेश वकील श्री हिमांशु शेखर का कहना है कि एनजीटी द्वारा दिल्ली की प्रधान पीठ और क्षेत्रीय पीठों दोनों में संकर सुनवाई की जा रही है। इसी तरह, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज ने कहा है कि न्यायाधिकरण संकर सुनवाई कर रहा है।

6. जहां तक एन. सी. एल. ए. टी. का संबंध है, यह कहा गया है कि अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को उन्नत किया जाना है और केंद्र सरकार से धन की मांग की गई है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि एन. सी. एल. ए. टी. को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। हम निर्देश देते हैं कि वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों के सचिवों के बीच एक सप्ताह की अवधि के भीतर एन. सी. एल. ए. टी. के अध्यक्ष के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाए और धन की उपलब्धता सहित सभी लंबित मुद्दों को सुलझा लिया जाए ताकि एन. सी. एल. ए. टी. को संकर सुनवाई करने में सक्षम बनाया जा सके। साथ ही, दो सप्ताह की अवधि के भीतर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण 4 के अध्यक्ष के साथ एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। एन. सी. एल. ए. टी. और एन. सी. एल. टी. यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, उपस्थित वकीलों या वादियों के विकल्प पर संकर सुनवाई उपलब्ध कराई जाए।

7. श्री के. एम. नटराज का कहना है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के तहत आने वाले अन्य न्यायाधिकरणों की स्थिति का संकेत देने वाला एक सारणीबद्ध बयान भी सुनवाई की अगली तारीख तक रिकॉर्ड में रखा जाएगा। 8. सुनवाई के दौरान, हमने उच्च न्यायालयों की ओर से निम्नलिखित वकील को सुना है:

- (i) इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के लिए श्री के. परमेश्वर; (ii) डॉ. बीरेंद्र सराफ, महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य की ओर से श्री संदीप देशमुख के साथ बॉम्बे में उच्च न्यायालय के लिए पेश हुए हैं;
- (iii) कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए श्री कुणाल चटर्जी; (iv) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के लिए श्री अपूर्व कुरुप;

4 "एनसीएलटी "

1122

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

(v) गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए श्री पी. आई. जोस;

(vi) गुजरात उच्च न्यायालय के लिए श्री निखिल गोयल;

(vii) झारखंड उच्च न्यायालय के लिए श्री तपेश कुमार सिंह; (viii) कर्नाटक उच्च न्यायालय के लिए सुश्री अनघा एन शर्मा; (ix) केरल उच्च न्यायालय के लिए श्री टी. जी. नारायणन नायर; (x) मध्य

प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए श्री अर्जुन गर्ग; (xi) मद्रास उच्च न्यायालय के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. गुरुकृष्ण कुमार;

(xii) श्री संजय कुमार पाठक, मेघालय उच्च न्यायालय के वकील;

(xiii) उड़ीसा उच्च न्यायालय के लिए श्री शिबाशीष मिश्रा;

(xiv) पटना में उच्च न्यायालय के लिए श्री गौरव अग्रवाल;

(xv) श्री निधेश गुप्ता, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील;

(xvi) राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए डॉ. चारु माथुर;

(xvii) सिक्किम उच्च न्यायालय की ओर से सुश्री एनाक्षी मुखोपाध्याय सिद्धांत; और

(xviii) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के उच्च न्यायालय के लिए सुश्री उत्तरा बब्बर।

9. न्यायालय के समक्ष हुई चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी को अपनाने के स्तर में उच्च न्यायालयों के बीच काफी अंतर है। कुछ उच्च न्यायालयों ने काफी प्रगति की है और सुनवाई हाइब्रिड मोड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदान की जा रही है। अन्य उच्च न्यायालयों ने कहा है कि सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालाँकि, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई की वास्तविक संख्या के संबंध में आंकड़े सामने आए हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदर्शन बहुत खराब हैं। उदाहरण के लिए, एक उच्च न्यायालय में, पिछले तीन महीनों में वर्चुअल मोड में कम से कम 3 सुनवाई आयोजित की गई हैं।

सर्वेश माथुर बनाम पंजाब और हरियाणा का सामान्य उच्च न्यायालय 1124

1123

10. अधिकांश उच्च न्यायालयों में, एक समान एस. ओ. पी. की अनुपस्थिति से समस्या और बढ़ जाती है जो सुनवाई के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तक पहुंच प्राप्त करने के तरीके में स्पष्टता लाती है। इलेक्ट्रॉनिक अभिगम के लिए आवेदन, कुछ मामलों में, सुनवाई शुरू होने की तारीख से तीन दिन पहले, बहुत पहले जमा करना पड़ता है। मौजूदा एस. ओ. पी. की मनमानी भी 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं/व्यक्तिगत रूप से पक्षकारों के लिए हाइब्रिड मोड में सुनवाई की अनुमति जैसे नियमों द्वारा वहन की जाती है। आयु प्रतिबंध अनुचित रूप से युवा वकीलों को नुकसान पहुंचाएगा और केवल बार में वरिष्ठों के हाथों में प्रौद्योगिकी तक पहुंच को प्रतिबंधित करेगा। इस तरह के मानदंड अदालतों तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं रखते हैं। 11. इसके अलावा, अधिकांश उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के परिसर के भीतर बार के सदस्यों और वादियों को वाई-फाई या इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान नहीं करते हैं। पर्याप्त संपर्क के अभाव में, बार के सदस्यों और वादियों के लिए उच्च न्यायालयों के दायरे में इंटरनेट का उपयोग करना संभव नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई के लिए लिंक कारण-सूची में प्रदान नहीं किए गए हैं। कई उच्च न्यायालयों ने अभी तक ऑनलाइन फाइलिंग को नहीं अपनाया है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या हाइब्रिड मोड में सुनवाई का पूरक होगा। हम पूर्वोक्त राज्यों में पर्याप्त

इंटरनेट गतिविधि के अभाव के बारे में भी चिंतित हैं। 12. सुनवाई के दौरान, यह भी सामने आया है कि जहां कई उच्च न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है, वहीं बहुत कम उच्च न्यायालय सुनवाई के हाइब्रिड मोड के माध्यम से काम कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बुनियादी ढांचे की तुलना में संकर सुनवाई आयोजित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा एक अलग क्रम का हो सकता है।

13. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्योंकि यह उच्च न्यायालयों में देश भर में उभरा है, हम श्री गौरव अग्रवाल और श्री के परमेश्वर, वकील को न्याय मित्र के रूप में नामित करते हैं। न्याय मित्रों से अनुरोध है कि वे उन सभी सूचनाओं को एकत्रित करें जो इस न्यायालय के समक्ष एक सारणीबद्ध चार्ट में दी गई हैं ताकि इस न्यायालय द्वारा आगे प्रभावी आदेश पारित किए जा सकें। न्याय मित्र अपने बीच उच्च न्यायालयों के संबंध में कार्य भी वितरित कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालयों के पंजीयक जनरल/पंजीयक (आई. टी.) से संपर्क कर सकते हैं ताकि आवश्यक जानकारी दी जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

उस संबंध में इस न्यायालय के समक्ष। न्यायमित्र इस न्यायालय के समक्ष उन कदमों को भी रखेंगे जो सभी उच्च न्यायालयों द्वारा ई-फाइलिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए उठाए गए हैं।

14. इस पृष्ठभूमि में हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

(i) इस आदेश की तारीख से दो सप्ताह के अंतराल के बाद, कोई भी उच्च न्यायालय बार के किसी भी सदस्य या ऐसी सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक वादी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं या हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई करने से इनकार नहीं करेगा।

((ख) सभी राज्य सरकारें ऊपर उल्लिखित समय सीमा के भीतर उस उद्देश्य के लिए आवश्यक सुविधाओं को स्थापित करने के लिए उच्च न्यायालयों को आवश्यक धनराशि प्रदान करेंगी।

(iii) उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि उच्च न्यायालय परिसर के दायरे में उच्च न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होने वाले सभी अधिवक्ताओं और वादियों को पर्याप्त बैंडविड्थ के साथ वाई-फाई सुविधाओं सहित पर्याप्त इंटरनेट सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं।

(iv) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/हाइब्रिड सुनवाई तक पहुंचने के लिए उपलब्ध लिंक प्रत्येक अदालत की दैनिक कारण-सूची में उपलब्ध कराए जाएंगे और पूर्व आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी उच्च न्यायालय आभासी/संकर सुनवाई का लाभ उठाने के लिए आयु की आवश्यकता या कोई अन्य मनमाना मानदंड लागू नहीं करेगा।

(v) सभी उच्च न्यायालय संकर/वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई तक पहुंच का लाभ उठाने के लिए चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक एस. ओ. पी. लागू करेंगे। इसे प्रभावी बनाने के लिए, दिल्ली उच्च

न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजीव शकधर से अनुरोध किया जाता है कि वे ई-समिति द्वारा तैयार किए गए एस. ओ. पी. के आधार पर श्री गौरव अग्रवाल और श्री के. परमेश्वर के साथ मिलकर एक मॉडल एस. ओ. पी. तैयार करें। एक बार एस. ओ. पी. तैयार हो जाने के बाद, इसे इन कार्यवाही के रिकॉर्ड में रखा जाएगा और सभी उच्च न्यायालयों को पहले से वितरित किया जाएगा ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंस/हाइब्रिड सुनवाई की सुविधा के लिए सभी उच्च न्यायालयों में एक समान एस. ओ. पी. अपनाया जा सके।

सर्वेश माथुर बनाम पंजाब और हरियाणा का सामान्य उच्च न्यायालय 1126

(vi) सभी उच्च न्यायालय, सूचीबद्ध करने की अगली तारीख को या उससे पहले, निम्नलिखित विवरणों को अभिलेख पर रखेंगे:

(क) उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेंसों की संख्या और संकर बुनियादी ढांचे की प्रकृति;

(बी) 1 अप्रैल 2023 से वीडियो कॉन्फ्रेंस/हाइब्रिड सुनवाई की संख्या का अदालत-वार सारणीकरण; और

(ग) वे कदम जो यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के भीतर बार के सदस्यों और वಾದियों को उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए वाई-फाई/इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

(vii) केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए न्याय विभाग के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया जाता है कि पूर्वोत्तर और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सभी अदालतों को पर्याप्त बैंडविड्थ और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाए ताकि ऑनलाइन सुनवाई तक पहुंच की सुविधा हो सके।

(viii) सभी उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि बार और बेंच के सदस्यों को पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि प्रत्येक उच्च न्यायालय के सभी अधिवक्ता और न्यायाधीश प्रौद्योगिकी के उपयोग से परिचित हो सकें। इस आदेश की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय को सूचित करते हुए सभी उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसी प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित की जाएंगी; और

(ix) भारत संघ यह सुनिश्चित करेगा कि 15 नवंबर 2023 को या उससे पहले, सभी न्यायाधिकरणों को संकर सुनवाई के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाए। सभी न्यायाधिकरण 15 नवंबर 2023 के बाद संकर सुनवाई शुरू करना सुनिश्चित करेंगे। उच्च न्यायालयों को नियंत्रित करने वाले निर्देश सी. ई. एस. टी. ए. टी., आई. टी. ए. टी., एन. सी. एल. ए. टी., एन. सी. एल. टी., ए. एफ. टी., एन. सी. डी. आर. सी., एन. जी. टी., एस. ए. टी., सी. ए. टी., डी. आर. ए. टी. और डी. आर. टी. सहित केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के तहत काम करने वाले न्यायाधिकरणों पर भी लागू होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

15. विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रभारी पंजीयक को भी नोटिस जारी किया जाएगा। श्री के. एम. नटराज, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुरंत ए. पी. टी. ई. एल. के अध्यक्ष से संपर्क करेंगे और भारत संघ की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे कि इस आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर ए. पी. टी. ई. एल. में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/हाइब्रिड सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

16. इन सबसे ऊपर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रौद्योगिकी अदालत कक्षों तक पहुंच सुनिश्चित करने में एक आवश्यक भूमिका निभाती है और इसके परिणामस्वरूप, देश भर के नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच होती है। एफ. आई. एल. एस. और कानूनी सामग्री तक पहुँचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने वाले वकीलों और वादियों को घड़ी को पीछे करने और केवल कागजी पुस्तकों का उल्लेख करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। प्रौद्योगिकी की प्रगति में, अदालतें तकनीक के खिलाफ नहीं रह सकती हैं। संकर सुनवाई पर बंधन लगाना, जैसे कि आयु मानदंड को अनिवार्य करना, पूर्व आवेदन की आवश्यकता, और आभासी प्रतिभागियों तक पहुंच से बार-बार इनकार करना, वकीलों और वादियों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करने का प्रत्यक्ष प्रभाव है। यह न केवल प्रभावशीलता और अदालतों तक पहुंच को प्रभावित करता है, बल्कि यह गुमराह करने वाला संदेश भी देता है कि न्याय चाहने वालों के लिए अदालतों तक पहुंच को सीमित किया जा सकता है।

17. बार और बेंच द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। न्यायपीठ, अधिवक्ता और वादियों के सदस्यों को तकनीकी रूप से निपुण और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए एक-दूसरे की सहायता करनी चाहिए। उपरोक्त निर्देशों को सभी संबंधित हितधारकों द्वारा अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए।

18. 6 नवंबर 2023 को कार्यवाही सूचीबद्ध करें।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

निर्देश जारी किए गए।

दिव्या पांडे

5 "एपीटीईएल "